



2026:AHC:129606

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20180 वर्ष 2026

रामाशंकर यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: रयूफ अली

विपक्षी दल के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य, उत्तर प्रदेश के लिए विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री अजय सिंह को सुना।
2. यह तत्काल जमानत आवेदन पुलिस स्टेशन- भदोही, जिला- भदोही के अंतर्गत केस क्राइम संख्या 290 वर्ष 2021, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 120बी आईपीसी के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि प्राथमिकी में सात व्यक्तियों को नामित किया गया था, लेकिन आवेदक को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया है। नामित सह-आयुक्त दिलीप जैन, दुर्गा प्रसाद यादव, जयहिंद प्रजापति को इस न्यायालय की संबंधित पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। उक्त अभियुक्तों का जमानत आदेश शपथ पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि सह-आयुक्त गोपाल प्रसाद गुप्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उन्हें इस न्यायालय की संबंधित पीठ द्वारा दिनांक 13.6.2024 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22147 वर्ष 2024 में जमानत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहले ही दी जा चुकी है और जिसकी प्रति शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 45 पर संलग्न है। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपराध विशेष रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और वह 15.09.2023 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-आयुक्त, अर्थात् दिलीप जैन, दुर्गा प्रसाद यादव, जयहिंद प्रजापति को इस न्यायालय की संबंधित पीठ द्वारा जमानत दी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का पुलिस थाना हिंडौन, जिला करौली (राजस्थान) के केस क्राइम संख्या 164 वर्ष 2017, धारा 420, 406, 467, 466, 471 और 120बी आईपीसी के अंतर्गत एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसे स्पष्ट नहीं किया गया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-आयुक्त, अर्थात् दिलीप जैन, दुर्गा प्रसाद यादव, जयहिंद प्रजापति को इस न्यायालय की संबंधित पीठ द्वारा जमानत दी गई है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 15.09.2023 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- **रमाशंकर यादव** जो उक्त केस क्राइम में शामिल है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण अदालत के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार आदेश पारित करना खुला रहेगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, निचली अदालत उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी / 269 बी.एन.एस. (B.N.S.) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी / 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके खिलाफ धारा 174-ए आईपीसी / 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करना खुला रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान निचली अदालत के न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19 जून, 2026

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।